AHO

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांकःएफ.20(31)ग्रावि/ग्रुप–3/नरेगा/क्रय पॉलिसी/10–11 जयपुर, दिनांक अप्रैल, 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान
समस्त राजस्थान।

4 MAY 2010

विषयः–वीड़ियों कॉन्फ्रेस दिनांक 23.04.2010 को निर्माण सामग्री क्रय के संबंध मे उठाये गये बिन्दुओं के बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेस दिनांक 23.04.2010 में निर्माण सामग्री के क्रय के संबंध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा हैः–

1. दो या इससे अधिक बार खुली निविदाएँ आमंत्रित करने के बाद भी निविदाएँ प्राप्त नही होने पर सामग्री किस प्रकार क्रय की जावे ?
2. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर दाता फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति करने में विफल रहने पर क्या द्वितीय न्यूनतम दर दाता से सामग्री क्रय की जा सकती है ?

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकती है :–

- बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.04.2010 के बिन्दु संख्या 1 पर पूर्व में ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि दो या दो से अधिक बार निविदा आमंत्रित करने पर भी दरें प्राप्त नहीं होती हैं, तो जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति में निर्णय लेकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–2 के नियम 38 में उल्लेखित परिस्थितियों एवं कारणों को कार्यवाही विवरण में अभिलिखित करते हुये नियम 42 में निर्धारित रीति से राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो से खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा के माध्यम से सामग्री क्रय की कार्यवाही की जा सकती है।

- बिन्दु संख्या 2 के क्रम में न्यूनतम दर दाता फर्म (L-1) द्वारा सामग्री आपूर्ति नही करने की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–2 के नियम 57 में उल्लेखित

प्रकिया अपनाकर बयाना राशि /प्रतिभूति राशि (Earnest Money/Security Deposit) जब्त करके, यदि द्वितीय निविदादाता (L-2) की बयाना राशि (Earnest Money) नही लौटाई है, तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली क्रय समिति द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर दाता फर्म (L-2) से नेगोसियेशन करके उसी सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जा सकती है। यदि द्वितीय निविदादाता की उस सामग्री से संबंधित बयाना राशि (Earnest Money) लौटा दी है, तो नियमानुसार नवीन निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है ।

- यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–2 में क्रय एवं सामग्री आपूर्ति के संबंध में विस्तृत प्रकिया उल्लेखित है, तद्नुसार कार्यवाही की जावें।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)।
4. परियोजना अधिकारी, लेखा,ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ,जिला परिषद (समस्त)।
5. मुख्यालय, ईजीएस के समस्त अधिकारी।
6. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस, मुख्यालय को इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

14.5.10
मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस